गोलालारीय समाज का मुखपत्र

RNI No. MPHIN/2008/26873
No. MP/ICD/1252/2012-2014

मासिक गोलालारीय दर्शन

golalariya_darshan@yahoo.in
गोलालारीय दर्शन यहां भी देख सकते है –
www.golalariya.com

अपनों के साथ अपनी बातें

जो भरा नहीं हैं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं पत्थर हैं वो, जिसे समाज से प्यार नहीं।

वर्ष : 5 अंक : 10 पृष्ठ संख्या : 16 माह – 15 मार्च 2014 सहयोग राशी – आजीवन सदस्य बनें ।

दो दशको के अंतराल के बाद जैन समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक

नई दिल्ली। दो दशक के अंतराल के बाद जैन समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक मान्यता का निर्णय अन्ततोगत्वा केन्द्रीय सरकार ने काफी मशक्कत के बाद ले ही लिया। भारतीय संविधान में 'नागरिकों के मूलभूत अधिकार' चैप्टर के अंतर्गत 'सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों' में अनुच्छेद 29 में 'अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा' एवं अनुच्छेद 30 में 'अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधन का अधिकार' है, जो समुदाय अपनी अलग भाषा, लिपि, संस्कृति और धर्म के अनुसार अल्पसंख्यक है और उपरोक्त का संरक्षण उनका अधिकार है। संविधान तथा केन्द्रीय एवं राज्य कानूनों द्वारा प्रदत्त अल्पसंख्यकों के इन अधिकारों की सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन, विकास और उनका उलंघन अतिक्रमण होने पर शिकायतों के निवारण के लिए नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटीज एक्ट 1992, 17 मई 1992 को संसद में पारित किया गया। इस एक्ट की धारा 2 (सी) के अंतर्गत माइनोरिटी वह मानी गई जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करे। 23 अक्टूबर 1993 की अधिसूचना द्वारा ऐसे 5 समुदाय – मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और पारसी राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित कर दिये गये और उन्हें संविधान तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के कानूनों के अंतर्गत अल्पसंख्यक संरक्षण प्राप्त हो गया। **अब एक्ट की धारा 2 (सी) के अंतर्गत जैन समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा छठा समुदाय अधिसूचित कर दिया गया है और उन्हें भी नववर्ष से संवैधानिक और कानूनी अल्पसंख्यक संरक्षण प्राप्त हो गया।**

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 2014/माघ 7, 1935
No. 217] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 2014/MAGHA 7, 1935

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2014

का.आ. 267(अ).—राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 2 खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 816(अ), दिनांक 23-10-1993 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में पहले से ही अधिसूचित अर्थात् मुस्लिमों, ईसाइयों, सिक्खों, बौद्धों और पारसियों के अलावा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 1-1/2009-एनसीएम]
ललित के. पंवार, सचिव

जैन समुदाय, जो संस्कृति और धर्म के आधार पर अधिसूचित 5 समुदायों में, पारसी के बाद सबसे कम जनसंख्या में थे और निर्विवाद रुप से अल्पसंख्यक थे, उन्हें 1993 की अधिसूचना में क्यो छोड़ा गया, इसका कारण किसी भी सरकारी फाइल में दर्ज नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि जैन समुदाय को केन्द्रीय सरकार ने नहीं छोड़ा, जैन समुदाय के एक वर्ग ने शामिल करने का विरोध करके अपने पैरों पर खुद कुल्हाडी मारी और दो दशक तक संवैधानिक और कानूनी अल्पसंख्यक संरक्षण से वंचित रह कर क्या खोया – क्या पाया, उसका आत्ममंथन भी समाज की भविष्य की सोच के लिए अपरिहार्य है।

समाज के कुछ वर्गों में मतिभ्रमित लोगों ने भ्रांति फैला दी कि अल्पसंख्यक होकर हम मुख्य सांस्कृतिक धारा से अलग हो जायेंगे। उनमें से किसी ने संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 द्वारा प्रदत्त संरक्षण का अध्ययन करने का कष्ट नहीं किया। परिणामत: जैन धर्म के अनादि स्वतंत्र धर्म होने पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया और हमारे शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों की बात ही छोड़िये, हमारे उपासना और तीर्थ स्थलों पर अनवरत अतिक्रमण होता गया।

राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित होने पर संविधान और केन्द्रीय कानूनों द्वारा प्रदत्त संरक्षण और विकास योजनाओं का लाभ प्राप्त हो जाता है पर राज्य सरकारों के कानूनों द्वारा प्रदत्त संरक्षण और विकास योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा राज्य में अल्पसंख्यक अधिसूचित होना आवश्यक है। नेशनल कमीशन फॉर माइनोरीटिज एक्ट 1992 की तर्ज पर अभी तक कुल 13 राज्यों में स्टेट कमीशन फॉर माइनोरीटिज एक्ट बने, जिनमें 1993 की अधिसूचना के आधार पर केवल उपरोक्त 5 समुदाय अल्पसंख्यक की सूची में शामिल कर लिये गये। जिन राज्यों में स्टेट माइनोरिटीज एक्ट नहीं बने, उनमें भी उनके समाज कल्याण विभाग 1993 की अधिसूचना केवल 5 समुदायों को अल्पसंख्यक मानकर काम करते रहे। राज्यों में अल्पसंख्यक मान्यता प्राप्त करना भी टेढ़ी खीर थी क्योंकि राज्यों के कानून मंत्रालय केन्द्र सरकार ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक सूची से किसी वजह से छोड़ा होगा का प्रश्न चिन्ह लगाकर मुद्दे को लटकाते रहे।

अल्पसंख्यक मान्यता की मांग पर 1998 के पूर्व तक महासभा, दक्षिण भारत जैन सभा, परिषद्, महासमिति एवं अन्य क्षेत्रीय संस्थाएं केन्द्र एवं राज्य सरकारों को कानूनी स्वरुप के प्रतिवेदन देती रही थी। महासमिति ने आंदोलन का मार्ग अपनाया जिससे आम जैन समाज आंदोलित होकर सार्वजनिक तौर पर मुखर हो सके और यह राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरुप ले सके। अभियान के तहत जैन समुदाय के साथ किये गये अन्याय को सुधारने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को विभिन्न क्षेत्रों से लगभग पांच लाख पोस्ट कार्ड भेजे गये। इससे समाज में जागृति हुई और राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संस्थाओं ने पश्चातवर्ती क्रम में मांग को गति दी।

जैन समुदाय विभाजित था। इस विभाजन को कम करने और क्रमश: खत्म करने को समाज की राष्ट्रीय संस्थाओं – महासभा, दक्षिण भारत जैन सभा, परिषद् एवं माहसमिति ने जोरदार मुहिम छेड़ी। 31 अक्टूबर 2002 को टी.एम.ए.पाई फाउन्डेशन रिट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट की 11 सदस्यीय संविधान बैंच ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के रिट पिटीशन क्लब करके अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के 11 'इशू' पर व्यवस्था दी पर पहले 'इशू' में शैक्षणिक संस्थाएं चलाने वाले समुदायों की राज्य में अल्पसंख्यक मान्यता के लिए, विभिन्न राज्यों में उनकी अलग-अलग जैन जनसंख्या के आधार पर, राज्य को माइनोरिटी के लिए 'यूनिट' माना।

29 मई 2001 से 24 जुलाई 2013 तक के 12 वर्षो में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक कर चुके 14 राज्यों की जैन जनसंख्या देश की कुल जैन जनसंख्या का बहुमत 68.80 प्रतिशत थी, पर दिल्ली अभी भी दूर थी।

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने 30 जुलाई 2010 को सूचित किया कि टी.एम.ए.पाई जजमेंट के कारण अब किसी समुदाय को अल्पसंख्यक मान्यता के लिए राज्य यूनिट है, हालांकि केन्द्रीय सरकार विधिवत् अधिकार सक्षम है। तत्कालीन तीर्थक्षेत्र कमेटी अध्यक्ष एवं महामंत्री ने कानूनी स्थिति की विभीषिका को समझा और पूर्व चीफ जस्टिस आफ इंडिया जस्टिस वी.एन. खरे, जो बाल पाटिल केस की बैंच में भी थे, पूर्व चीफ जस्टिस आफ इंडिया जस्टिस एम.एच. कानिया और पूर्व चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस अजित प्रकाश शाह से सुप्रीम कोर्ट के टी.एम.ए.पाई फाउन्डेशन जजमेंट एवं बाल पाटिल जजटमेंट और नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटीज एक्ट 1992 से जुड़े चार कानूनी मुद्दों (1) क्या नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटीज़ एक्ट 1993 के अंतर्गत जैन धार्मिक अल्पसंख्यक है (2) टी.एम.ए.पाई जजमेंट क्या जैन समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक मान्यता पर विपरीत प्रभाव डालता है; (3) क्या बाल पाटिल जजमेंट के कारण केन्द्रीय सरकार के नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटीज एक्ट, 1992 की धारा 2 (सी) के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पसंख्यक मानने के अधिकार में कोई कानूनी अड़चन है; एवं (4) कि क्या केन्द्रीय सरकार को संसद के सामने जाने की जरुरत है या सीधा गजट नोटीफिकेशन करने को सक्षम है?

शेष पेज नं. 6 पर...

गोलालारीय दर्शन समाज के 4500 परिवारों तक नियमित भेजा जा रहा है। संभव है डाक व्यवस्था या आपका पता सही न होने के कारण पत्रिका आपको व आपके रिश्तेदारों तक पत्रिका नहीं पहुंचती है तो उनका नाम व पता पोस्टकार्ड पर लिखकर पत्रिका कार्यालय पर भेज देवें या 9424013136 पर दोप. 4 से रात्रि 10 तक संपर्क कर सकते है या अपने पता का एसएमएस कर सकते है।